राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2495/2024

मंजू गुप्ता

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.11.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ, कनु निमावत, अति. प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति लेब टेक्निशियन के पद अनुसूचित जन जाति क्षेत्र पर आदेश दिनांक 09.07.2024 के द्वारा हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से पदस्थापन हेतु विकल्प पत्र मांगे गये, जिस पर अपीलार्थी ने अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत कर प्रथम विकल्प अलवर जिले में कर दिया। किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को अलवर जिले में पदस्थापित नहीं करते हुए अपीलार्थी को बालोतरा में पदस्थापित किया गया, जो अपीलार्थी का चौथा विकल्प था। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अलवर जिले में पदस्थापित किया गया। और अपीलार्थी को अलवर जिले में पदस्थापित नहीं किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क्रम संख्या 833, 864, 874, 901, 929, 965, 979, 998 एवं 1009 को अलवर जिले पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी क्रम संख्या 826 पर था, पर अलवर जिला नहीं दिया गया। अपीलार्थी का पदस्थापन अलवर जिले में नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिस पर प्रत्यर्थी

विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते है कि अपीलार्थी ने प्रथम विकल्प अलवर जिले का दिया था, अपीलार्थी को अलवर जिले में पदस्थापन न कर अपीलार्थी ने कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का अलवर जिले में पदस्थापित किया गया है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत अपील प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित दिये जाते है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार रिक्त पद होने की स्थिति में पदस्थापित किया जावे। इस आदेश की पालना एक माह में किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)